न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीःसुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

अपील सं0—4/2024
प्रविष्टि दिनांक—23.10.2024

1. सीताराम पुत्र भूरा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम श्री गोविन्दपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
2. मोहनलाल पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम श्री गोविन्दपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

अपीलार्थीगण

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, पलेई, तहसील निवाई, जिला टोंक
2. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

— प्रतिपक्षीगण

उपस्थित—श्री रमेश कुमार शर्मा—अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री रविकमार जैन—अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 238, ग्राम बिडोली व नामान्तरकरण सं0 58 ग्राम श्री गोविन्दपुरा के संबधं मे ग्राम पंचायत पलेई, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.1975

निर्णय

दिनांक— 03-03-25

अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अपीलान्ट का पारिवारिक शजरा निम्न प्रकार है।

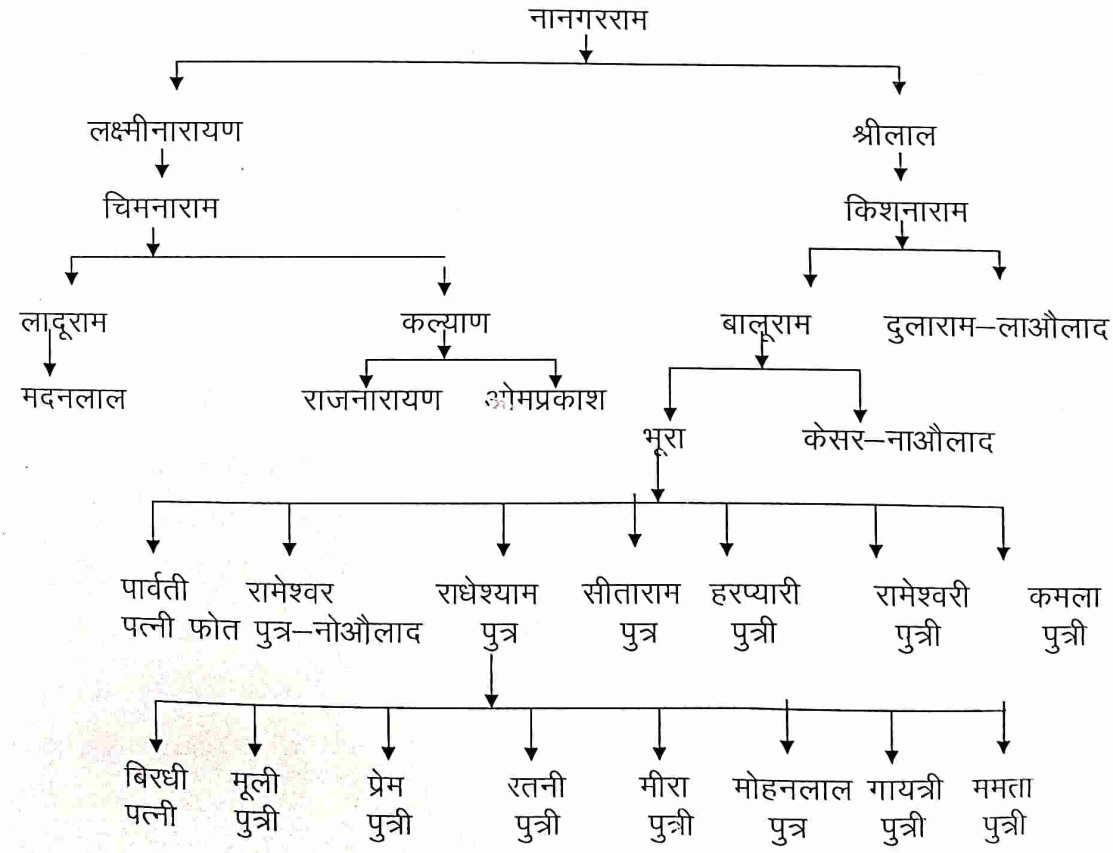

उपखण्ड अधिकारी (टोंक)

उक्त वर्णित नामान्तरकरण सं० 238 में कुल किता–38 कुल रकवा 60 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बिडोली व नामान्तरकरण सं० 58 में वर्णित कुल किता –10 कुल रकवा 14 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम श्रीगोविन्दपुरा में वर्णित भूमि अपीलान्ट के दादा बालू पुत्र किशना की छोडी हुई पुश्तैनी भूमि है। अपीलान्ट के दादा बालू की मृत्यु के बाद उनकी विरासत के नामान्तरकरण सं० 238 ग्राम बिडोली व नामान्तरकरण सं० 58 ग्राम श्रीगोविन्दपुरा ग्राम पंचायत पलेई ने विधि के विपरीत स्वीकार किये हैं जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पचायत पलेई ने उक्त दोनो नामान्तरकरण को स्वीकार करने से पहले कोई जांच नही की गई और ना ही अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। बिना वारिसानो की जांच के ही ग्राम पचायत ने काल्पनिक तथ्यो के आधार पर उक्त नामान्तरकरण स्वीकार किया गये। गलत वारिसानों के नाम नामान्तरकरण भर दिये गये। बालू की मृत्यु के बाद उसके एक मात्र विधिक वारिस भूरा पुत्र बालू था इसके अलावा कोई वारिस नही था। ग्राम पंचायत ने बिना जांच किये ही कल्याण पुत्र चिमना के हक में नामान्तरकरण सं० 238 व 58 स्वीकार कर लिया। अतः नामान्तरकरण सं० 238 ग्राम बिडोली व नामान्तरकरण स० 58 ग्राम श्रीगोविन्दपुरा के संबध में ग्राम पंचायत के निर्णय को निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जिसमे अकितानुसार नामान्तरकरण सं० 238 ग्राम बिडोली व नामान्तरकरण स० 58 ग्राम श्रीगोविन्दपुरा के संबंध में अपीलान्ट को जानकारी नहीं थीं जो क्षमा योग्य है और अपील स्वीकार करे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नामान्तरकरण सं० 238 ग्राम बिडोली व नामान्तरकरण 58 ग्राम श्रीगोविन्दपुरा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस का पृथक से विवेचन नहीं किया जा रहा है।

हमने अपील एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया एवं विद्ववान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अपीलार्थी ने अपनी अपील में अंकित किया है कि नामान्तरकरण सं० 238 ग्राम बिडोली व नामान्तरकरण सं० 58 को ग्राम पचायत पलेई ने विधि के विपरीत बिना विधिक वारिसान की जांच के स्वीकार किया गया जो गलत है। अपील के तथ्यो के संबध में ग्राम पचायत पलेई की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपील को स्वीकार करने के तथ्य पर नॉ ओब्जेक्शन (अनापत्ति) कथन की है। अत्तः यह न्यायालय प्रतिवादी सं० 1 की सहमति के आधार पर न्याय हित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

अतः अपील, विरूद्ध नामान्तरकरण 238 ग्राम बिडोली व नामान्तरकरण स० 58 ग्राम श्रीगोविन्दपुरा ग्राम पंचायत पलेई तहसील निवाई जिला टोंक को स्वीकार किया जाकर, उक्त दोनों नामान्तरकरण निरस्त किया जाकर पत्रावली रिमाण्ड की जाती है। तहसीलदार निवाई को निर्देशित किया जाता है कि मृतक बालू पुत्र किशना के विधिक वारिसों की जांच कर पुनः विधि अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 03-03-25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई